संशोधन

संख्या-457/ 2026/ 859(1)/ 26-27-सिं-9-71 भवन/26

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2026**

विषय: नलकूप खण्ड अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत कार्यालय एवं नलकूप कालोनी परिसर में स्थित भवनों की मरम्मत एवं कम्पाउण्ड की बाउण्ड्रीवाल के जीर्णोद्धार की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-322/ 2026/ 001/ 859/ 26-27-सिं-9-71 भवन/ 26, दिनांक 25.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में विषयगत परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 147.58 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनुदान सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4701-93-051-10-14-24**(नई)** के अन्तर्गत रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के विषय एवं प्रस्तर-1 में **नलकूप खण्ड अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत कार्यालय एवं नलकूप कालोनी परिसर में स्थित भवनों की मरम्मत एवं कम्पाउण्ड की बाउण्ड्रीवाल के जीर्णोद्धार की परियोजना** के स्थान पर त्रुटिवश **जनपद अम्बेडकर कार्यालय एवं नलकूप कालोनी परिसर में स्थित भवनों की मरम्मत एवं कम्पाउण्ड की बाउण्ड्रीवाल के जीर्णोद्धार की परियोजना** अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25.05.2026 के विषय एवं प्रस्तर-1 में अंकित **जनपद अम्बेडकर कार्यालय एवं नलकूप कालोनी परिसर में स्थित भवनों की मरम्मत एवं कम्पाउण्ड की बाउण्ड्रीवाल के जीर्णोद्धार की परियोजना** के स्थान पर **नलकूप खण्ड अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत कार्यालय एवं नलकूप कालोनी परिसर में स्थित भवनों की मरम्मत एवं कम्पाउण्ड की बाउण्ड्रीवाल के जीर्णोद्धार की परियोजना** पढ़ा जाय।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/ (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/ नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है